राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषयः– राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 11/10/2019 को संपन्न 297वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

---000---

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 297वीं बैठक श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 11/10/2019 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: दिनांक 10/10/2019 को संपन्न 296वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019 को संपन्न हुई। समिति के समक्ष बैठक की कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा अवलोकन उपरांत सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण खनिजों, मुख्य खनिज एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स चंगोरी ब्रिक्स अर्थ माईन (प्रो.– श्री धनेश राम देशमुख), ग्राम–चंगोरी, तहसील व जिला – दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 828)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34676/2019, दिनांक 13/04/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 09/05/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 02/08/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित गौण खनिज मिट्टी उत्खनन खदान है। खदान ग्राम–चंगोरी, तहसील व जिला – दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1117 से 1119, 1122 से 1125 एवं 1135 से 1141, 1148/1 एवं 1150, कुल क्षेत्रफल – 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज मिट्टी उत्खनन क्षमता – 900 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज मिट्टी उत्खनन खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चंगोरी का दिनांक 28/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 727/खनि.लि/खनिज/2018, बालोद दिनांक 28/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 40/ए/खनि.लि.02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 05/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान, क्षेत्रफल 1.15 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में 50 मीटर से अधिक पर रास्ता एवं 100 मीटर में शिवनाथ नदी स्थित है। इसके अतिरिक्त मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 193/खनि.लि.02/ई–ऑक्शन/2018 दुर्ग, दिनांक 28/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2019/3235 दुर्ग, दिनांक 26/07/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र से लगभग 40 कि.मी. की दूरी है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. फॉर्म–2 के बिन्दु क्रमांक 8 में माईनिंग ऑफ ऑर्डनरी स्टोन माईन क्षमता – 900 घनमीटर प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है, जबकि अन्य दस्तावेजों में मिट्टी उत्खनन का उल्लेख किया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धनेश राम देशमुख, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है। अतः आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने के लिए अनुरोध किया गया।

परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 297वीं बैठक दिनांक 11/10/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 11/10/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स मंदिर हसौद लाईन स्टोन क्वारी, (प्रो.– श्री इन्द्र कुमार टाकनदास) ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 874)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36425/2019, दिनांक 20/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/06/2019 एवं 12/07/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 29/06/2019 एवं 29/08/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 692, 693 एवं 694/1, कुल क्षेत्रफल – 1.072 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 45,900 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मंदिर हसौद का दिनांक 31/12/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 411/ख.लि./तीन–6/उ.प/2019, दिनांक 15/05/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./तीन–1/2019/1095 रायपुर, दिनांक 06/08/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 4.048 हेक्टेयर (मेसर्स माही बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स को दिनांक 21/01/2019 के द्वारा 30 वर्ष के लिए उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक निर्णय पत्र जारी किया गया) है।

4. लीज डीड श्री इन्द्र कुमार के नाम पर है, जिसकी अवधि 15 वर्ष (दिनांक 17/08/2012 से 16/08/2027 तक) की अवधि हेतु है।

5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर सामान्य वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1997 रायपुर, दिनांक 22/06/2002 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. निकटतम आबादी ग्राम–मंदिर हसौद 1 कि.मी. एवं रायपुर शहर 13 कि.मी., शैक्षणिक संस्था एवं अस्पताल मंदिर हसौद 1 कि.मी., निकटतम रेल्वे स्टेशन मंदिर हसौद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 6,76,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,29,571 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.185 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	45,900
द्वितीय	45,900
तृतीय	45,900

चतुर्थ	45,900
पंचम	45,900

4. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्वयं के ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
6. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

(ब) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019ः

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री इन्द्र कुमार टाकनदास, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक पूर्व से संचालित खदान है, जिसे जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपूर्ण जानकारी होने के कारण आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने के लिए अनुरोध किया गया।

परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–**

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. पुरानी एवं नई लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. खदान क्षेत्र के पटवारी सीमांकन की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

Arelocyaha

6. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा एवं वर्ष 2012 से 2017 तक उत्खनन कार्य नहीं किए जाने बाबत् खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. लीज क्षेत्र में क्रशर की वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाई गई है। साथ ही सेफ्टी जोन की स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 297वीं बैठक दिनांक 11/10/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री इन्द्र कुमार टाकनदास, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
2. जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा पूर्व में खसरा क्रमांक 692, 693 एवं 694/1, क्षेत्रफल 2.65 एकड़, क्षमता-10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 296 दिनांक 24/06/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया।
3. जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा पूर्व में खसरा क्रमांक 692, 693 एवं 694/1, क्षेत्रफल 1.072 हेक्टेयर, क्षमता-1,63,800 टन प्रतिवर्ष हेतु संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 563 दिनांक 14/05/2018 के द्वारा जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 23/06/2019 तक थी। पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 45,900 टन प्रतिवर्ष है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के कारण वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।
5. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान वर्ष 1998 से संचालित होना बताया गया है। किन्तु लीज डीड की प्रति वर्ष 2002 से 2007 तक, वर्ष 2007 से 2012 तक एवं वर्ष 2012 से 2027 तक का प्रस्तुत किया गया है।
7. खदान क्षेत्र के पटवारी सीमांकन की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
8. **संशोधित 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्यू/ख.लि./तीन-6/2019 रायपुर, दिनांक 09/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 6 खदानें, क्षेत्रफल 9.689 हेक्टेयर है।

9. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा एवं वर्ष 2012 से 2017 तक उत्खनन कार्य नहीं किए जाने बाबत् खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

वर्ष	उत्खनित मात्रा (टन)
1998	350
1999	315
2000	950
2001	250
2002	1,780
2003	702.17
2004	1,410
2005	1,750
2006	2,128.26
2007	1,050
2008	1,110
2009	400
2010	700
2011	400
2012	400*
2017	70,171.697
2018	1,63,320.32

नोटः– *दिनांक 17/08/2012 से 22/03/2017 तक खदान की अवधि समाप्त होने एवं अवधि विस्तारित न होने तथा संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म के समक्ष अपील में होने के कारण इस अवधि में खदान में उत्पादन बंद था।

10. वांछित संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं की गई है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 2 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं वृक्षारोपण हेतु 0.5 घनमीटर प्रतिदिन) होगी। जल की आपूर्ति वॉटर टैंकर से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिडकाव किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा एवं वर्ष 2012 से 2017 तक उत्खनन कार्य नहीं किए जाने बाबत् खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. वांछित संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स रायपुर स्टील कास्टिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 901)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/आईएनडी/ 37703/2019, दिनांक 13/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–सरोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 106/49, 106/32, 744/58, 106/11, 106/10, 106/9, 106/15, 106/13, 106/22, 106/23, 106/30, 744/57, 106/31, 106/34, 106/35, 106/50, 106/51, 744/52, 106/26, 743/1, 729/2, 729, 730/1 एवं 106/38, कुल क्षेत्रफल – 13.26 हेक्टेयर (32.77 एकड) में टनल किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता–57,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 95 टन प्रतिदिन), इण्डक्शन फर्नेस (माईल्ड स्टील इंगाट एण्ड बिलेट्स) क्षमता – 90,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 15 टन), सेगर इकाई क्षमता–300 टन प्रतिमाह, स्लेग क्रशिंग इकाई 25 टन प्रतिघंटा एवं गैसीफायर (प्रोड्यूसर गैस) क्षमता–7,000 घनमीटर प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. बाबत् आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनियोग रुपए 46 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

(ब) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 297वीं बैठक दिनांक 11/10/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शैलेष कुमार अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वॉयरो लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–बिनैका 0.9 कि.मी., ग्राम–सरोरा 1.5 कि.मी., तिल्दा शहर 8.5 कि.मी., रेलवे स्टेशन तिल्दा 9.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.7 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 4.6 कि.मी., खारून नदी 7.1 कि.मी., कुल्हन नाला 8 कि.मी., गडरिया नाला 0.15 कि.मी. एवं तालाब 0.3 कि.मी. है। बिलारी आरक्षित वन 0.05 कि.मी. एवं बिलारी घुघुवा आरक्षित वन 3.3 कि.मी. है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** कुल क्षेत्रफल – 32.77 एकड़ (13.26 हेक्टेयर) है, जिसमें से प्लांट का क्षेत्रफल 10 एकड़, स्टोरेज का क्षेत्रफल 2.5 एकड़, आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 3.5 एकड, वॉटर रिजर्वायर एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्षेत्रफल – 0.2 एकड़, हरित पट्टिका का क्षेत्रफल – 11 एकड (33 प्रतिशत), ट्रक पार्किंग 0.5 एकड़ एवं खुला क्षेत्रफल 5.07 एकड है।

3. **रॉ–मटेरियल –**

S. No.	Raw Material		Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
For manufacturing Sponge Iron - 57,000 TPA					
1.	Iron Ore fines		86,000	Orrisa, NMDC	By Rail & Road (through covered trucks)
2.	Lime Stone		3,600	Local Area	By road (through covered trucks)
3.	Coal	Indian Coal	78,000	E-Auction / SECL	By Road
		Imported Coal	34,560	Indonesia / South Africa / Australia	Through sea route, Rail & Road (through covered trucks)
For Steel Melting Shop (M.S. Ingots / Billets) - 90,000 TPA					
1.	Sponge Iron		57,000	Own generation	Through Conveyor
			19,000	External Purchase from other Industries	By road (through covered trucks)

2.	MS Scrap / Pig Iron	32,800	Local Area	By road (through covered trucks)
3.	Ferro Alloys	1,350	Local Area	By road (through covered trucks)
For Slag Crushing Unit - 25 TPH				
1.	Slag Generated from SMS	9,000	Own Generation	Through Conveyor
For Saggering Unit - 300 TPM				
1.	S S Scrap/ Rejected Saggers	4,000	Local Market	By road (through covered trucks)

4. प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Product	Plant Configuration	Proposed Capacity
Tunnel Kilns Sponge Iron (DRI)	2x95 TPD	57,000 TPA
Induction Furnaces (Mild Steel Ingot & Billets)	2x15 MT	90,000 TPA
Sagger Unit	300 MT/Month	300 MT/Month
Slag Crushing Unit	25 TPH	25 TPH
Gasifier	7,000 m^3/hr	7,000 m^3/hr

5. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु टनल किल्न, इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम., स्लेग क्रशिंग इकाई एवं सेगरिंग इकाई से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। प्रस्तावित टनल किल्न में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मल्टीसाईक्लॉन के साथ बेग फिल्टर, प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर, प्रस्तावित स्लेग क्रशिंग इकाई एवं सेगरिंग इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है।

6. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – टनल किल्न से चार – 47.5 टन प्रतिदिन, एस.एम.एस. से स्लेग – 30 टन प्रतिदिन, गैसीफायर से सिण्डर – 27.2 टन प्रतिदिन एवं गैसीफायर से टार – 1.6 टन प्रतिदिन तथा डस्ट – 1 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। चार का उपयोग कोल के साथ 1:2 अनुपात में मिलाया जाएगा एवं ब्रिकविटिंग होने के पश्चात् सेगर का उपयोग रिड्युसिंग एजेंट के रूप में किया जाएगा। स्लेग को क्रश्ड कर उसमें से आयरन रिकव्हर्ड किया जाएगा एवं शेष नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाएगा। सिण्डर को निकटतम ईट निर्माण इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। टार को टार रिसायकलर / सड़क निर्माण कांट्रेक्टर को उपलब्ध कराया जाएगा। डस्ट का उपयोग ईट निर्माण इकाईयों में किया जाएगा।

7. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

Arekseyghe

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 150 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, इण्डक्शन फर्नेस उपयोग हेतु 100 घनमीटर प्रतिदिन, वृक्षारोपण उपयोग हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन एवं डस्ट सप्रेसन हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। भू–जल का उपयोग किये जाने हेतु अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक के साथ सब–सरफेस डिसपर्सन ट्रेंच का निर्माण किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का विवरण ई.आई.ए. रिपार्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

8. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 10.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा।

9. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 11 एकड़ (33 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

10. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 15/10/2019 से 15/01/2020 के मध्य किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit land ownership document before EIA submission.

ii. Project proponent shall submit copy of NOC from CGWA for use of Ground water.
iii. Project proponent shall submit layout ensuring minimum 15 meter wide green belt along the plant periphery.
iv. Project Proponent shall submit NOC of Forest department for proposed project.
v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
vi. Project Proponent shall submit details of STP with zero discharge.
vii. Project proponent shall submit calculation regarding waste water generation.
viii. Project proponent shall submit latitude and longitude of every units.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स राजुर लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्रीमती उषा के राजपुरिया), ग्राम–राजुर, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 687)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 24359 / 2018, दिनांक 12 / 04 / 2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 42362 / 2018, दिनांक 06 / 09 / 2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का उल्लंघन संबंधी विवरणः– समिति अवगत हुई कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 / 09 / 2006 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के उत्खनन के 05 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संशोधित अधिसूचना दिनांक 07 / 10 / 2014 के अनुसार मुख्य खनिज उत्खनन के सभी प्रकरणों (5 हेक्टेयर से कम लीज क्षेत्र वाले खनिज उत्खनन को भी) में पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण दिनांक 15 / 09 / 2017 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें दिनांक 15 / 01 / 2016 के पश्चात् भी उत्खनन जारी रखा गया था, को उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है, इस प्रकरण में वर्ष 2017 तक उत्खनन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15 / 01 / 2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम–राजुर, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 161, कुल लीज क्षेत्र 1.53 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 8,800 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25 / 05 / 2019 द्वारा उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08 / 03 / 2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत ई.आई.ए. का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 297वीं बैठक दिनांक 11/10/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कमलेश राजपुरिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. ग्राम पंचायत राजुर द्वारा दिनांक 01/08/1998 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक बस्तर/ चूप/ खयो–1057/ 2016–रायपुर, दिनांक 07/12/2016 जो वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2339 दिनांक 04/10/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 01 खदान रकबा 0.97 हेक्टेयर स्वीकृत/विद्यमान हैं।
4. समीपस्थ आबादी ग्राम–राजुर 1 कि.मी., जगदलपुर शहर 19.1 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन तोकापाल 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 58 कि.मी. की दूरी पर है। कांगेर नदी 4 कि.मी. की दूरी पर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. कार्यालय वन मंडलाधिकारी, वनमंडल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 6161 दिनांक 23/10/2018 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।
7. लीज डीड श्रीमति उषा के राजपुरिया के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों के लिए 23/10/1996 से 22/10/2016 तक की अवधि हेतु थी।
8. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बस्तर के ज्ञापन दिनांक 11/12/1996 द्वारा उत्खनन कार्य हेतु भू–प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। उत्खनन कार्य दिनांक 01/06/1997 से प्रारंभ किया गया। उत्खनन कार्य जनवरी, 2018 से बंद होना प्रतिवेदित किया है।

9. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर जिला–बस्तर के पत्र क्रमांक 2481, दिनांक 24/10/2018 द्वारा उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व 1,18,810 टन एवं माईनेबल रिजर्व 70,770 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.057 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट मैनुवल विधि से उत्खनन किया जाता है। भू–भाग के 6,005 वर्गमीटर क्षेत्र पर उत्खनन होना बताया गया है। पहाड़ी की धरातल से नीचे उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 4 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 2 मीटर है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2002	15,235
2003	15,178
2004	11,597
2005	7,508
2006	5,314
2007	2,972
2008	2,009
2009	4,647
2010	3,104
2011	4,934
2012	4,867
2013	3,311
2014	459
2015	1,363
2016	3,611
2017	2,378
2018	—

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)
2017–18	8,000
2018–19	8,400
2019–20	8,400
2020–21	8,800
कुल	**33,600**

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.5 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 1,425 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति ऊपर स्पष्ट की गई है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh)**
Rs. 20	2%	Rs. 0.4	Following activities will be done in Govt. Higher Secondary School Tokapal	
			Rain water harvesting	Rs.0.25
			Potable drinking water facility	Rs.0.20
			Installing of solar light, water pumps in the village	Rs.0.15
			Total	**Rs. 0.60**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः उल्लंघन नहीं किए जाने के संबंध में हलफनामा (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2019 से मई 2019 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 6 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 26.28 से 43.58 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 47.2 से 63.92 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.11 से 14.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 11.33 से 20.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48 डीबीए से 58 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.24 डीबीए से 53.3 डीबीए पाया गया।

17. समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के पत्र क्रमांक B-12015/63/2019-AS/469 dated April 10, 2019 के "Record notes of discussion in the 63rd conference of Chairman and Member Secretaries of Pollution Control Boards / Committees held on March 18, 2018" का अवलोकन किया गया। उक्त conference के कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न "Report of the CPCB In-house Committee on Methodology for Assessing Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the Fund" का समिति सदस्यों द्वारा अध्ययन/अवलोकन किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों पर समिति द्वारा विचार किया एवं पाया गया कि:–

i. प्रतिवेदन में Environmental Compensation के आंकलन की Methodology का वर्णन करते हुये उद्योगों के लिए Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला निर्धारित किया गया:–

EC=PIxNxRxSxLF
Where,
EC - Environmental compensation in Rs.
PI - Pollution Index of Industrial Sector
N - Number of days of voilation took place
R - a Factor in Rs. For EC
S - Factor for scale of operation
LF - Location Factor

Note:

a. The industrial sectors have been categorized into Red, Orange and Green, based on their Pollution Index in the range of 60 to 100, 40 to 59 and 21 to 40 respectively. It was suggested that the average Pollution Index of 80, 50 and 30 may be taken for calculating the Environmental Compensation for Red, Orange and Green categories of industries, respectively.

b. N, number of days for which voilation took place is the period between the day of voilation observed / due date of the direction's compliance and the day of compliance verified by CPCB / SPCB / PCC.

c. R, is the factor in Rupees, which may be minimum of 100 and maximum of 500. It is suggested to consider R as 250, as the Environmental Compensation in cases of voilation.

d. S, could be based on small / medium / large industries categorization, which may be 0.5 for micro or small, 1.0 for medium and 1.5 for large units.

e. LF, could be based on population of the city / town and location of the industrial unit. For the industrial unit located within municipal boundary or up to 10 km distance from the municipal bounary of the city / town, following factors (LF) may be used.

ii. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा उपरोक्त फार्मुला को मण्डल की 46वीं बैठक, दिनांक 29/07/2019 से छत्तीसगढ़ में अंगीकृत करते हुए लागू किया गया है।

iii. उत्खनन के प्रकरणों में Environmental Damage की गणना के लिए निर्धारित मापदण्ड नहीं हैं। स्पष्टता के अभाव में समिति ने निर्णय लिया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली द्वारा प्रस्तावित तथा छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा adopted उपरोक्त फार्मुला को प्रयोग के तौर पर उत्खनन के प्रकरणों में Environmental Damage की गणना के लिए ही मान्य किया जाये।

iv. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के पत्र क्रमांक B-29012/ESS(CPA)/2015-16 dated March 7, 2016 की संशोधित गाईडलाईन अनुसार माईनिंग के प्रकरण रेड कैटेगरी के अंतर्गत आते है।

v. समिति द्वारा निर्धारित Formula में लोकेशन फैक्टर (L-Factor) के संबंध में गहन विचार किया गया। समिति का मत है कि माईनिंग एरिया (खदान) शहरी क्षेत्र से काफी दूर है तथा खदान के 10 कि.मी. के भीतर जनसंख्या बहुत कम है। जबकि निर्धारित Formula उद्योगों (Industries) हेतु बनाया गया है। इसकी सूची में लोकेशन फैक्टर (L-Factor) का मान 10 लाख से अधिक की आबादी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 10 लाख से नीचे की आबादी हेतु लोकेशन फैक्टर (L-Factor) का मान नहीं होने के कारण समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लोकेशन फैक्टर (L-Factor) का मान 10 लाख से नीचे की आबादी हेतु निम्नानुसार माना जाये:–

क्रमांक	जनसंख्या (लाख में)	लोकेशन फैक्टर (L-Factor)
1	5–10	1.0
2	1–5	0.75
3	1 से कम	0.5

यह मापदण्ड केवल खदानों के लिए निर्धारित किया गया है।

vi. अतः उत्खनन प्रकरणों के लिए PI - 80, R-Factor - 250, S-Factor - 0.5 एवं L-Factor उपरोक्तानुसार लेने का निर्णय लिया गया।

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन की अवधि में कुल 5,989 टन खनिज का उत्खनन किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उल्लंघन की अवधि में औसतन 37 टन प्रतिदिन उत्पादन किया गया था। समिति द्वारा विचार कर यह निर्णय लिया गया कि उत्पादन अनुसार उल्लघंन दिवस 162 (5,989 टन / 37 टन प्रतिदिन = 162 दिन) माना जाए।

viii. Environmental Compensation की राशि की गणना उपरोक्त फार्मुला के अनुसार निम्नानुसार होती है:–

Environmental Compensation = PIxNxRxSxLF
Environmental Compensation = 80x162x0.5x0.5x250
Environmental Compensation = Rs. 8,10,000 /-

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में रूपये 8,10,000 निर्धारित की गई। इसका उपयोग

आस–पास के शासकीय स्कूल / महाविद्यालय / संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल / महाविद्यालय / संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

2. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर रूपये 8,10,000 की बैंक गारंटी एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स माँ शारदा मिनरल्स (प्रो.– श्री आशीष तिवारी, मंदिर हसौद लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 941)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 40927 / 2019, दिनांक 09 / 08 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 26 / 08 / 2019 एवं 11 / 09 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07 / 09 / 2019 एवं 14 / 09 / 2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 699, कुल क्षेत्रफल – 4.048 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,96,670 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक / ख.लि. / तीन–6 / ई–निविदा / 2019 / 1115 दिनांक 08 / 08 / 2019 द्वारा अनुमोदित है।
2. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक / क / ख.लि. / तीन–1 / 2019 / 1145 रायपुर, दिनांक 20 / 08 / 2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर में दिनांक 13 / 09 / 2013 के पश्चात् अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 1.943 हेक्टेयर है।
3. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक / क. / ख.लि. / तीन–1 / ई–निविदा / 2018 / 2011 रायपुर, दिनांक 21 / 01 / 2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।

4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./रा/4655 रायपुर, दिनांक 05/09/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. निकटतम आबादी ग्राम–मंदिर हसौद 1 कि.मी., शैक्षणिक संस्था एवं अस्पताल मंदिर हसौद 1 कि.मी., निकटतम रेल्वे स्टेशन मंदिर हसौद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.3 कि.मी. दूर है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

7. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 23,04,637 टन एवं माईनेबल रिजर्व 14,44,650 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.185 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोडा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,86,226.25
द्वितीय	2,86,215
तृतीय	2,86,728.75
चतुर्थ	2,88,787.5
पंचम	2,96,670

8. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्वयं के ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

9. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।

10. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 297वीं बैठक दिनांक 11/10/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष तिवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्यू/ख.लि./तीन–6/2019 रायपुर, दिनांक 09/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर में अवस्थित अन्य 13 खदानें, क्षेत्रफल 19.663 हेक्टेयर है।
3. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्यू/ख.लि./तीन–6/2019 रायपुर, दिनांक 09/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर में अवस्थित अन्य 13 खदानें, क्षेत्रफल 19.663 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मंदिर हसौद) का क्षेत्रफल 4.048 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मंदिर हसौद) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 23.711 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड

टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit extended LOI copy from competent authority.

iii. Project proponent shall submit the certificate regarding information of structures like bridge, dam, anicut, water supply source or other restricted area etc placed within 200 meter of proposed mine area from mining department.

iv. Project proponent shall submit NOC of gram panchayat.

v. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

vi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

vii. CER proposals with details of works and detail estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. मेसर्स मोहरेंगा लाईम स्टोन माईन (श्री योगेन्द्र वर्मा), ग्राम–मोहरेंगा एवं खौलीडबरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 709)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 74583 / 2018, दिनांक 14 / 04 / 2018 द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओ.आर. में संशोधन (लोक सुनवाई से छुट) हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 11 / 10 / 2019 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा क्रमांक 786 / 1, 489, ग्राम–मोहरेंगा एवं खसरा क्रमांक 738, 739, ग्राम–खौलीडबरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 4.527 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 27,500 टन प्रतिवर्ष है। शासकीय भूमि 2.021 हेक्टेयर एवं निजी भूमि 2.506 हेक्टेयर है।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 323, दिनांक 04 / 12 / 2018 द्वारा उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08 / 03 / 2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 297वीं बैठक दिनांक 11 / 10 / 2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2197/ख.लि./तीन–6/2019 रायपुर, दिनांक 11/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 689.648 हेक्टेयर (मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट को सैद्धांतिक निर्णय लिया गया) है। आवेदित खदान (ग्राम–मोहरेंगा एवं खौलीडबरी) का रकबा 4.527 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है एवं यह प्रकरण ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन का भी है।
2. विचाराधीन खदान उल्लंघन का प्रकरण है। अतः राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 323, दिनांक 04/12/2018 द्वारा जारी स्टैण्डर्ड टी.ओ.आर. में लोक सुनवाई से छुट देते हुये टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड सूरजपुर (डॉयरेक्टर–श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल, छिर्रालेवा क्रशर स्टोन क्वारी–ए), ग्राम–छिर्रालेवा, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 967)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43992/2019, दिनांक 01/10/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित क्रशर पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–छिर्रालेवा, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 97, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 69,595.5 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रशर पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोटेनदरहा का दिनांक 12/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 5259/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 28/09/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1414 क/अस्थाई अनुज्ञा/ख.लि./न.क्र. /2018 महासमुंद, दिनांक 16/09/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर दिनांक 09/09/2013 के उपरांत अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1352क/ ख.लि./ अस्था.अनु./ न.क्र. 2019 महासमुंद, दिनांक 31/08/2019 द्वारा जारी की गई।

7. निकटतम आबादी ग्राम–छिर्रालेवा 0.325 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम–छिर्रालेवा 0.32 कि.मी. एवं अस्पताल सराईपाली 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कि.मी. राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है।

8. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,07,506 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,35,491 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.249 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	7,510	1.5	11,265	29,289
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	7,010	1.5	10,515	27,339
प्रथम वर्ष तृतीय बेंच	3,325	1.5	4,987.5	12,967.5
द्वितीय वर्ष तृतीय बेंच	3,325	1.5	4,987.5	12,967.5
द्वितीय वर्ष चतुर्थ बेंच	6,200	1.5	9,300	24,180
द्वितीय वर्ष पंचम बेंच	5,620	1.5	8,430	21,918
द्वितीय वर्ष षष्ठम बेंच	5,254	0.5	2,627	6,830.2

9. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति निकटतम गांव/नदी से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

10. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 622 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 297वीं बैठक दिनांक 11/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड सूरजपुर (डॉयरेक्टर– श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल, छिर्रालेवा क्रशर स्टोन क्वारी–बी), ग्राम–छिर्रालेवा, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 968)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 44084/2019, दिनांक 02/10/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित क्रशर पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–छिर्रालेवा, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 97, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 71,351 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रशर पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोटेनदरहा का दिनांक 12/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनुमोदन की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1414ए क/अस्थाई अनुज्ञा/ख.लि./न.क्र. /2018 महासमुंद, दिनांक 16/09/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर दिनांक 09/09/2013 के उपरांत अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1354/क/ ख.लि./ अस्था.अनु./ न.क्र. 2019 महासमुंद, दिनांक 31/08/2019 द्वारा जारी की गई।

6. निकटतम आबादी ग्राम–छिर्रालेवा 0.325 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम–छिर्रालेवा 0.32 कि.मी. एवं अस्पताल सराईपाली 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कि.मी. राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है।

7. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,06,492 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,39,716 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.23 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोडा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौडाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	7,695	1.5	11,542.5	30,010.5
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	7,250	1.5	10,875	28,275
प्रथम वर्ष तृतीय बेंच	3,350	1.5	5,025	13,065
द्वितीय वर्ष तृतीय बेंच	3,350	1.5	5,025	13,065
द्वितीय वर्ष चतुर्थ बेंच	6,370	1.5	9,555	24,843
द्वितीय वर्ष पंचम बेंच	6,000	1.5	9,000	23,400
द्वितीय वर्ष षष्ठम बेंच	5,429	0.5	2,714.5	7,057.7

8. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति निकटतम गांव/नदी से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिडकाव किया जाएगा।

9. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 575 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

10. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 297वीं बैठक दिनांक 11/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. अनुमोदित माईनिंग प्लान का जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(अरविन्द कुमार गौरहा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़